Journal of Advances and Scholarly Researches in Allied Education
Vol. XV, Issue No. 1, April-2018, ISSN 2230-7540

उज्जैन जिले में कृषि क्षेत्र की शुष्क–उपज–भंडारण हेतु निजी क्षेत्र की भागीदारी का अध्ययन

Vipin Vagrecha*

Research Scholars, Government Madhav Arts & Commerce College, Ujjain (MP)

शोध सारांश :– *उज्जैन जिले में कृषि क्षेत्र की शुष्क उपज के भंडारण हेतु निजी क्षेत्र की भागीदारी में समीक्षा अवधि वित्तीय वर्ष 2009–10 से वित्तीय वर्ष 2013–14 तक सतत् वृद्धि हुई है। वर्ष 2009–10 में निजी भंडारगृह की क्षमता 157913 मैट्रिक टन की थी जो वर्ष 2013–14 में बढ कर 297904 मैट्रिक टन हो गई। इस प्रकार 88.65 प्रतिशत वृद्धि दर्ज हुई है। जबकि सार्वजनिक क्षेत्र में स्थापित भंडारण क्षमता 91697 मैट्रिक टन पर स्थिर है।*

शब्द कुंजी :– *कृषि उपज भंडारण, भंडारगृह, भंडारण सुविधा।*

----------X----------

प्रस्तावना :–

भारत के कृषि प्रक्षेत्र के आर्थिक विकास में युक्तियुक्त भंडारण व्यवस्था की अहम् भूमिका है। इससे कृषि उपज की क्षति न्यूनतम होती है एवं व्यस्त मौसम में बाजार में कृषि उपज की भरमार के समय कृषक द्वारा उपज को मजबूरन विक्रय को रोकने में सहयोग मिलता है। उपज का वैज्ञानिक पद्धति से भंडारण करने पर अपेक्षित मूल्य की प्राप्ति, आपदा के समय आपूर्ति की सुनि"चतता एवं उपज की गुणवत्ता बनाए रखने में मदद मिलती है।

देश में उपलब्ध अधिकांश भण्डारण क्षमता भारतीय खाद्य निगम, केन्द्रीय भण्डारण निगम, राज्य भण्डारण निगम आदि एजेंसियों के पास है। इन भण्डारगृह का उपयोग केन्द्रीय पुल के लिए खरीदे गए खाद्यान्नों एवं लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के अधीन उपज वितरण के लिए किया जाता है साथ ही निजी क्षेत्र में भी भण्डार सुविधा का विस्तार हुआ है।

भंडारण के क्षेत्र में विशिष्ट स्थान रखने वाले भारतीय खाद्य निगम की भंडारण योजना का मुख्य उद्देश्य भारत सरकार द्वारा संचालित की जा रही सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अन्य कल्याणकारी योजनाओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उपज का भंडारण करना है। निगम के पास अखिल भारतीय स्तर पर साइलो सहित रणनीतिक रूप से स्थापित भंडारण डिपो का विशाल नेटवर्क है। अपनी भंडारण क्षमता के अलावा निगम केन्द्रीय भंडारण निगम, राज्य भंडारण निगम, राज्य एजेंसियों तथा निजी क्षेत्र के भण्डारगृह से अल्पावधि और निजी उद्यमी ग्यारंटी योजनाओं के तहत भंडारण क्षमता किराये पर अधिग्रहण करती है।

भारतीय खाद्य निगम द्वारा नये भण्डारगृह का निर्माण मुख्यतः निजी उद्यमी ग्यारंटी योजना के तहत निजी भागीदारी के माध्यम से कराया जा रहा है। निगम पब्लिक – प्रायवेट अनुबंध के माध्यम से साइलो के रूप में अपनी भंडारण क्षमता को बढ़ा रहा है।

यह विदित है कि देश के लघु व सीमांत कृषकों की आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं है कि उपज का बाजार मूल्य अपेक्षित होने तक वे अपने उत्पादों को अपने पास रख सके। उन्हें उनके उत्पाद को प्रतिकूल बाजार भाव में विक्रय करना पड़ता है। कृषकों की सुविधा व परिवहन के सुलभ साधनों को ध्यान में रखते हुए कृषि विपणन अवसंरचना का निर्माण करने के लिए कृषि और सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय ने उद्यमी के माध्यम से 1 अप्रेल 2001 से ग्रामीण भण्डारण योजना क्रियान्वित की है। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में सम्बद्ध सुविधाओं सहित वैज्ञानिक भण्डारण क्षमता का सृजन करना, कृषि उत्पादों की विपणन सम्बन्धी क्षमता को बेहतर बनाना, गुणवत्ता नियत्रंण का संवर्धन करना, रहन (गिरवी) पर वित्त पोषण की सुविधा प्रदान करके निराशाजनक सस्ते विक्रय को रोकना, देश में कृषि विपणन सम्बन्धी बुनियादी ढांचे को सुदृड़ करना तथा देश में भण्डारण निर्माण के प्रति निजी एवं सहकारी क्षेत्र को प्रोत्साहित कर कृषि क्षेत्र में निवेश के घटते रूख को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना है।

कृषि के शुष्क उत्पादों हेतु उपलब्ध भंडारण के क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी संबंधी शोध उज्जैन जिले के संदर्भ में प्रस्तुत है –

शोध का उद्देश्य :–

प्रस्तुत शोध कार्य का उद्देश्य उज्जैन जिले में स्थित कृषि की शुष्क–उत्पाद–भंडारण के क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी का अध्ययन करना है।

परिकल्पना :–

उज्जैन जिले के कृषि की शुष्क–उपज–भंडारण हेतु निजी क्षेत्र की भागीदारी में सतत् वृद्धि हो रही है।

www.ignited.in

शोध प्रविधि :–

शोध कार्य में समंक का संकलन द्वितीयक संमक के रूप में संबंधित कार्यालय से जानकारी प्राप्त कर किया गया है। शोध पत्र में समंक का संकलन शोध अवधि वित्तीय वर्ष 2009–10 से वित्तीय वर्ष 2013–14 तक किया गया है।

शोध का क्षेत्र :–

शोध का अध्ययन क्षेत्र मध्यप्रदेश राज्य के उज्जैन जिले तक ही सीमित रखा गया है।

विशय विस्तार :–

कृषि वस्तुओं का उत्पादन प्रायः मौसमी होता है परन्तु इनकी मांग वर्ष भर बनी रहती है। उपभोक्ताओं की निरन्तर मांग की पूर्ति के लिए उपज का संग्रहण करना आवश्यक है। विशिष्ट एवं वैज्ञानिक तरीकों से उपज संग्रहण करने की प्रक्रिया को भण्डारण कहते है। इस व्यवस्था के माध्यम से कृषि उपज को लम्बे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है तथा भविष्य में कृषि उत्पादन कम होने या मांग के अनुरूप न होने पर संग्रहित उपज का उपयोग किया जा सकता है। अर्थात् कृषि उपज भण्डारण का मुख्य उद्देश्य अधिशेष पूर्ति की मात्रा को उत्पादन काल से उपभोग काल तक सुरक्षित रखना है। प्रस्तुत शोध संबंधि भंडारण सुविधा के विकास की जानकारी प्रस्तुत है –

भण्डारण सुविधा का विकास :–

उपज संग्रहण की वैज्ञानिक विधियों का निरन्तर विकास हो रहा है। आज शीघ्र नाशवान वस्तुओं का संग्रह (भण्डारण) करके सुरक्षित रखा जा सकता है। भारत में 20 वीं शताब्दी के प्रारम्भ से ही भण्डारगृह सुविधाओं को विकसित करने का प्रयास किया गया। कृषि रायल कमीशन ने वर्ष 1923 में, केन्द्रीय बैकिंग जांच समिति ने वर्ष 1930 में तथा रिर्जव बैंक ने वर्ष 1944 में भण्डारगृह की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए कई उपयोगी सुझाव प्रस्तुत किये किन्तु ये सुझाव पूर्णतः क्रियान्वित नहीं हो सके। बाद में कृषि वित्त उप समिति ने वर्ष 1945 में और ग्रामीण बैकिंग जांच समिति ने भी वर्ष 1950 में भारत में ग्रामीण वित्त प्रबंधन के लिए भण्डारगृह का विकास करने पर बल दिया।

भण्डारगृह के विकास में अखिल भारतीय ग्रामीण साख सर्वेक्षण समिति 1954 की सिफारिशों की अहम् भूमिका है। इस समिति ने देशभर में भण्डारगृहों के विकास के लिए कई प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किये। इस समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुए सरकार ने देश में भण्डारगृहों की स्थापना एवं संचालन के लिए जून 1956 में कृषि उपज (विकास एवं भण्डारण व्यवस्था) निगम अधिनियम, राष्ट्रीय सहकारी विकास एवं भण्डारगृह बोर्ड, केन्द्रीय भण्डारगृह निगम एवं राज्य भण्डारगृह निगम स्थापित करने के लिए कानून पारित किये। इन कानूनों के तहत 1956 में राष्ट्रीय सहकारी विकास एवं भण्डारागार बोर्ड और 1957 में केन्द्रीय भण्डारागार निगम की स्थापित किये गए।

वर्तमान समय में सार्वजनिक क्षेत्र की तीन प्रमुख ऐजेन्सियां केन्द्रीय भण्डारागार निगम, राज्य भण्डारागार निगम तथा भारतीय खाद्य निगम बड़े पैमाने पर अनेक स्थानों पर भण्डारगृह की स्थापना कर कृषि उपज भण्डारण सुविधा प्रदान कर रही है।

उज्जैन जिले में सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र दोनों प्रकार के भंडारगृह विद्यमान है। जिले के सार्वजनिक भंडारगृह में भारतीय खाद्य निगम, मध्यप्रदेश वेयरहाउसिंग एवं लाजिस्टिक्स कॉर्पोरेशन व मंडी परिसर में स्थित भंडारगृह शामिल है। अध्ययन क्षेत्र स्थित भंडारगृह के प्रकारों का वर्णन प्रस्तुत है –

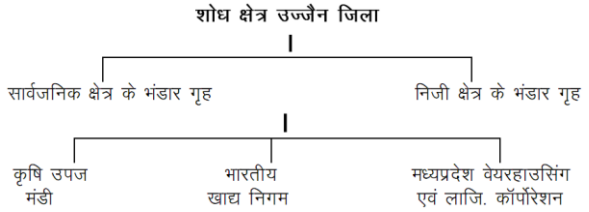

अध्ययन क्षेत्र में सेवारत् भंडारगृह के प्रकारों का परिचय प्रस्तुत है –

सार्वजनिक क्षेत्र की भागीदारी :–

उज्जैन जिले में सार्वजनिक क्षेत्र अर्थात सरकार के नियमन व नियत्रंण में संचालित हो रहे भंडार गृह की सुविधा प्रदाता कृषि उपज मंडी, भारतीय खाद्य निगम एवं मध्यप्रदेश वेयरहाउसिंग एवं लाजिस्टिक्स कॉर्पोरेशन है। इन सुविधा प्रदाता की शोध अवधि के दौरान भंडारण क्षमता में कोई वृद्धि दर्ज नहीं की गई। इन सेवा प्रदाताओं का क्षमता सहित संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत है –

(अ) कृषि उपज मंडी :–

कृषि उपज मंडी से आशय उस स्थल से है जहाँ कृषि उत्पाद के क्रेता व विक्रेता दोनों भौतिक रूप से उपस्थित होते हो एवं विभिन्न क्रेताओं की उपस्थिति में खुली निलामी के माध्यम से उपज का विक्रय होता हो। कृषि उपज मंडी के संचालन का मुख्य उद्देश्य कृषि विपणन को बेहतर बनाना एवं कृषक वर्ग को उपज का उचित मूल्य दिलवाना है।

अध्ययन क्षेत्र में प्रदेश सरकार द्वारा सात कृषि उपज मंडी में भंडारगृह की सुविधा उपलब्ध है। कृषि उपज मंडी परिसर में स्थित भंडारगृह का उपयोग प्रायः व्यापारी द्वारा किया जाता है। शोध अवधि के प्रारम्भ से लेकर अंत तक मंडी परिसर में स्थित भंडारण क्षमता में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ। मंडी समिति में उपज संग्रहण करने हेतू 22691 मैट्रिक टन की क्षमता स्थापित है।

(ब) भारतीय खाद्य निगम :–

केन्द्र सरकार की खाद्य सुरक्षा व सार्वजनिक वितरण प्रणाली हेतु कृषि उपज का क्रय करना एवं उनका भंडारण करने के कार्य में भारतीय खाद्य निगम की महत्वपूर्ण भूमिका है। निगम उपज संग्रहण करने के साथ उपज का क्रय करने का भी कार्य करता है। राज्य में निगम केवल राज्य सरकार की ऐजेन्सी द्वारा क्रय की गई उपज का संग्रहण करने का कार्य करती है। राज्य स्तर पर निगम का प्रधान कार्यालय भोपाल में स्थित है, उज्जैन जिला मुख्यालय के पास इसका क्षेत्रीय कार्यालय है, जिसके द्वारा उज्जैन एवं रतलाम जिले में स्थित निगम के भंडारगृह का नियत्रंण होता है। निगम का एक मात्र 15000 मैट्रिक टन का भंडारगृह है जो जिला मुख्यालय की 15 किलोमीटर की परिधि में स्थित है।

www.ignited.in

(स) मध्यप्रदेश वेयरहाउसिंग एवं लाजिस्टिक कॉर्पोरेशन :–

कृषि उपज का संग्रहण करने हेतु राज्य स्तर पर कॉर्पोरेशन के भंडारगृह निर्मित है। इन भंडारगृहों का प्रबंधन राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है। कॉर्पोरेशन नाम मात्र शुल्क पर व्यापारी, कृषक एवं अन्य उपयोगकर्ताओं जैसे भारतीय खाद्य निगम, नागरिक आपूर्ति निगम, सहकारी समिति को भंडारण की सुविधा उपलब्ध करवा रहा है। कॉर्पोरेशन आवश्यकतानुसार निजी भंडारगृहों को किराया पद्धति एवं संयुक्त उपक्रम योजना के तहत अधिग्रहण करने का कार्य भी करती है। उज्जैन जिले में कॉर्पोरेशन के सात भंडारगृह है जिनकी क्षमता 54316 मैट्रिक टन है।

शोध अवधि के दौरान शोध अध्ययन क्षेत्र उज्जैन जिले में सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत स्थापित भंडार क्षमता इस तालिका में प्रस्तुत है –

तालिका क्रमांक 1

उज्जैन जिले में सार्वजनिक क्षेत्र के भंडारगृह की क्षमता (मैट्रिक टन में)

वित्तीय वर्ष	मंडी समिति	एफ सी आई	एम पी डब्लू एल सी	कुल क्षमता
2009 – 10	22381	15000	54316	91697
2010 – 11	22381	15000	54316	91697
2011 – 12	22381	15000	54316	91697
2012 – 13	22381	15000	54316	91697
2013 – 14	22381	15000	54316	91697

स्त्रोत :– संबंधित कार्यालय से प्राप्त जानकारी के आधार पर

उपर्युक्त तालिका के अवलोकन से ज्ञात होता है कि समीक्षा अवधि में उज्जैन जिले में सार्वजनिक क्षेत्र की स्थापित भंडारण क्षमता में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

निजी क्षेत्र की भागीदारी –

कृषि कार्य कर रहे छोटे किसान आर्थिक रूप से इतने सक्षम नहीं होते है कि वे भविष्य में उचित मूल्य की प्राप्ति तक उपज को अपने पास संग्रहण कर रख सके। यह आवश्यकता है कि कृषक समुदाय को भंडारण की वैज्ञानिक सुविधाएं प्रदान की जाए ताकि उपज की हानि और गुणवत्ता को खराब होने से रोका जा सके साथ ही किसानों की ऋण संबंधी जरूरतें भी पूरी की जा सके। भंडारण की सुविधा होने से किसानों को ऐसे समय मजबूरी में अपनी उपज बेचने से रोका जा सकता है जब बाजार में उसके दाम कम हो एवं उपज उस समय बेच सकेगा जब उसे बाजार में लाभकारी मूल्य प्राप्ति हो सके। इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर वित्तीय वर्ष 2001 – 2002 में ग्रामीण भंडार गृह के निर्माण/नवीनीकरण के लिए ग्रामीण भंडारण योजना नाम से पूंजी निवेश सब्सिडी कार्यक्रम शुरू किया गया। इस योजना को प्रारम्भ करने का मुख्य उद्देश्य बाजार ऋण सुविधा प्रदान करते हुए फसल कटाई के तत्काल बाद वित्तिय आवश्कता की पूर्ति करना और खेत–खलिहान व घर पर भण्डार सुविधा न होने के कारण फसल बेचने की मजबूरी समाप्त कर कृषि जिन्सों के संदर्भ में राष्ट्रीय गोदाम प्रणाली प्राप्तियों की शुरूआत करते हुए देश में कृषि विपणन ढांचा मजबूत करना है। केन्द्र सरकार की पूंजी निवेश सब्सिडी योजना का लाभ उठाकर कृषक, व्यापारी, गैर सरकारी संगठन इत्यादि ग्रामीण क्षेत्र में निजी भंडारगृह का निर्माण कर उपज का संग्रहण कर रहे है।

केन्द्र सरकार की योजना का लाभ उठाकर उज्जैन जिले में प्रतिवर्ष ग्रामीण क्षेत्र में निजी भंडारगृह की संख्या के साथ इनकी क्षमता में निरन्तर वृद्धि हो रही है। निजी भंडारगृह की क्षमता में अभिवृद्धि इस बात का प्रमाण है कि उद्यमी वर्ग का रूझान भंडारण के क्षेत्र नित्य बढ़ रहा है। शोध अवधि के दौरान उज्जैन जिले में निजी क्षेत्र के भंडारगृह की क्षमता का वर्णन निम्न तालिका में प्रस्तुत है –

तालिका क्रमांक 2

उज्जैन जिले में स्थित निजी भंडारगृह की क्षमता एवं संख्या (मैट्रिक टन में)

वित्तीय वर्ष	भंडार गृह की क्षमता	भंडारगृह की संख्या	क्षमता में प्रतिशत वृद्धि
2009 – 10	157913	88	—
2010 – 11	184715	99	16.97
2011 – 12	191078	101	3.33
2012 – 13	194005	103	1.53
2013 – 14	297904	121	53.55

स्त्रोत :– कार्यालय, कलेक्टर जिला खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, उज्जैन मप्र

http://mpwarehousing.com/District/DistrictWise_WarehousePage64.html

उपर्युक्त तालिका में वित्तीय वर्ष 2006 – 2007 से 2010 – 2011 तक एमपीडब्लूएलसी में पंजीकृत व वित्तीय वर्ष 2013 – 2014 तक जिला खाद्य व आपूर्ति कार्यालय में पंजीयत निजी भंडारगृह को शामिल किया गया है। यहां भण्डारण क्षमता में न्यूनाधिक सतत् वृद्धि दिखायी दे रही है। वर्ष 2012–13 की तुलना में वर्ष 2013–14 में सर्वाधिक 53.55 प्रतिशत भण्डारण क्षमता बढ़ी है। वर्ष 2009–10 में निजी भंडारगृह की क्षमता 157913 मैट्रिक टन की थी जो वर्ष 2013–14 में बढ़ कर 297904 मैट्रिक टन हो गई। इस प्रकार कुल 88.65 प्रतिशत वृद्धि दर्ज हुई है।

परिकल्पना परोक्षण :–

प्रस्तुत शोध में प्राकल्पना है कि ''उज्जैन जिले के कृषि की शुष्क उपज भंडारण हेतु निजी क्षेत्र की भागीदारी में सतत् वृद्धि हो रही है।'' तालिका क्रमांक **1** से स्पष्ट है कि सार्वजनिक क्षेत्र के भंडारगृह की क्षमता में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ है वहीं तालिका क्रमांक **2** से ज्ञात होता है कि निजी क्षेत्र के भंडारगृह की क्षमता में निरंतर वृद्धि हो रही है। उपर्युक्त अध्ययन से स्पष्ट होता है कि यह शोध परिकल्पना सत्य है कि

उज्जैन जिले के कृषि की शुष्क उपज भंडारण हेतु निजी क्षेत्र की भागीदारी में सतत वृद्धि हो रही है।

निष्कर्ष :–

प्रस्तुत शोध से ज्ञात होता है कि केन्द्र सरकार की लाभकारी योजना से लाभान्वित होकर उद्यमी ग्रामीण क्षेत्र भंडारगृह का निर्माण/नवीनीकरण करवा रहे है। निजी उद्यमी भंडारण के क्षेत्र में निवेशरत् है। प्रस्तुत शोध से ज्ञात होता है कि उज्जैन जिले की कृषि क्षेत्र की शुष्क–कृषि–उपज भंडारण हेतु निजी क्षेत्र की भागीदारी में निरंतर वृद्धि हो रही है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

शर्मा रमेशचन्द्र (1992). कृषि अर्थशास्त्र, राजीव प्रकाशन, मेरठ 1992 – 93।

डॉ. मिश्र जयप्रकाश (2006). कृषि अर्थशास्त्र, साहित्य भवन पब्लिकेशन्स, आगरा।

मित्तल आर. एल. (2006). भारत में भंडारगृह, प्रयाग पुस्तक भवन, इलाहाबाद।

Corresponding Author

Vipin Vagrecha*

Research Scholars, Government Madhav Arts & Commerce College, Ujjain (MP)

E-Mail – vipinvagrecha@gmail.com